श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1766

सोमवार, 10 मार्च, 2025/19 फाल्गुन, 1946 (शक)

निर्माण उद्योग में व्यावसायिक खतरे

1766. डॉ. एम.के.विष्णु प्रसाद:
डॉ. धर्मवीर गांधी:
डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा निर्माण उद्योग में व्यावसायिक खतरों, जिनमें कैंसर, मस्कुलोस्केलेटल रुग्णता, श्वसन संबंधी रोग और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं शामिल हैं, को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) निर्माण स्थलों पर स्टील-टो वाले जूते, हार्ड हैट, ईयर मफ, मास्क और हार्नेस जैसे सुरक्षात्मक गियर के प्रावधान सहित व्यावसायिक सुरक्षा संबंधी मौजूदा कानूनों को लागू करने के लिए क्या पहल की गई है;

(ग) प्रवासी निर्माण श्रमिकों के लिए सचल स्वास्थ्य और कैंसर जांच कार्यक्रमों तथा सरकारी हकदारी योजाओं की पोर्टेबिलिटी सहित स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच में सुधार के लिए क्या उपाय लागू किए गए हैं;

(घ) निर्माण श्रमिकों के लिए, विशेषकर कर्नाटक और केरल में, जहां प्रायोगिक कार्यक्रम पहले ही शुरू किए जा चुके हैं, स्थानीय स्वास्थ्य बीमा योजनाएं विकसित करने में सरकार द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान मुआवजे के मामलों, अस्वीकृत दावों और लंबित निपटानों की संख्या सहित निर्माण श्रमिकों की मृत्यु के संबंध में राज्य वार आंकड़े क्या हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): केंद्र सरकार ने भवन और अन्य संन्निर्माण कामगारों के रोजगार एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए भवन और अन्य संन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 [बीओसीडब्ल्यू (आरईएंडसीएस) अधिनियम, 1996] अधिनियमित किया है। इस अधिनियम में उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण उपायों तथा प्रासंगिक या उनसे संबंधित अन्य मामलों के लिए उपबंध किए गए हैं।

जारी..2/-

सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) की स्थापना की है। केंद्रीय क्षेत्र में महानिदेशक (निरीक्षण)/मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) संगठन द्वारा नियमित निरीक्षण किए जाते हैं और भवन और अन्य संन्निर्माण कर्मकार (आरईएंडसीएस) अधिनियम, 1996 के उपबंधों के तहत जहां आवश्यक हो, उचित कार्रवाई की जाती है। राज्य सरकारों को राज्य क्षेत्र में श्रम कानूनों का प्रवर्तन सुनिश्चित करने अधिदेश दिया गया है।

संन्निर्माण कामगारों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रयासों को बढ़ाने के लिए, कारखाना सलाह सेवा और श्रम संस्थान महानिदेशालय (डीजीएफएएसएलआई), मुंबई में "संन्निर्माण सलाहकार सेवा (सीएएस) प्रभाग" बनाया गया है, जिसने संन्निर्माण सुरक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम शुरू किए हैं।

अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम के उपबंधों को लागू करने, उपकर निधियों के इष्टतम उपयोग के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों को समय-समय पर अधिनियम के अंतर्गत निदेश जारी किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बनाई गई कल्याण योजना के लिए उपकर निधि के उपयोग सहित उक्त अधिनियम के तहत जारी निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक निगरानी समिति गठित की गई है।

प्रवासी कामगारों के हितों के रक्षोपाय के लिए, संसद ने अंतरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 को अधिनियमित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, अंतर-राज्यीय प्रवासी कामगारों को नियोजित करने वाले कतिपय प्रतिष्ठानों के पंजीकरण, ठेकेदारों को लाइसेंस देने आदि के उपबंध हैं। इस प्रकार के प्रतिष्ठानों में नियोजित कामगारों को न्यूनतम मजदूरी, यात्रा भत्ता, विस्थापन भत्ता, रिहाइशी आवास, चिकित्सा सुविधाएं और संरक्षात्मक पहनावा आदि प्रदान किए जाने हैं। इस अधिनियम को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं संहिता, 2020 में समाहित किया गया है।

मृत्यु हो जाने के मामलों में मुआवजे का भुगतान, अन्य बातों के साथ-साथ, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 के उपबंधों, बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों की योजनाओं के अनुसार पात्रता के अनुसार किया जाता है।

****